



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022020-216192
CG-DL-E-17022020-216192

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]
No. 64]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2020/माघ 25, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
शुद्धि -पत्र
नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.055(1).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 58, तारीख 12 फरवरी 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.055, तारीख 12 फरवरी 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020, में क्रम संख्या 2 के उदाहरण के स्थान पर, पढ़ें:

“उदाहरण: कोई प्ररूप 29 अप्रैल, 2020 तक फाइल किया जाना अपेक्षित है। वह निम्नानुसार फीस सहित फाइल किया जाएगा:

यदि निम्नलिखित तारीख को फाइल किया जाता है	फीस (रुपयों में)
28 अप्रैल, 2020	0
29 अप्रैल, 2020	0
30 अप्रैल, 2020	500
मई, 2020 में किसी दिन	1000
जून, 2020 में किसी दिन	1500”

डा. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य
[विज्ञापन-III/4/असा./459/19]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA
CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th February, 2020

No. IBBI/2019-20/GN/REG055(1).—In the notification of the Insolvency and Bankruptcy Board of India published *vide* No. IBBI/2019-20/GN/REG055 dated 12th February, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 58 dated 12th February, 2020, in serial number 2, for the *Example*, read:

“*Example*: A Form is required to be filed by 29th April, 2020. It shall be filed along with fee as under:

If filed on	Fee (in Rupees)
28 th April, 2020	0
29 th April, 2020	0
30 th April, 2020	500
Any day in May, 2020	1000
Any day in June, 2020	1500”

Dr. NAVRANG SAINI, Whole Time Member

[ADVT.-III/4/Exty./459/19]